



2026:AHC:51255

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3418 वर्ष 2026

इन्द्रजीत

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : केशव प्रसाद पांडे, कृष्ण चंद्र पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 22.07.2008 को स्वीपर/सफाई कर्मचारी के 2384 पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता को 28.07.2008 को एक कॉल लेटर जारी किया गया था; वह चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुआ, और रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका चयन हो गया है।
3. इस याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटारा किया जाए और याचिकाकर्ता को जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए।
4. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, ने यह निवेदन किया है कि यद्यपि चयन वर्ष 2009 में ही हो गए थे और वर्तमान रिट याचिका लगभग 15 से 16 वर्षों के अंतराल के बाद प्रस्तुत की गई है, अतः, यह रिट याचिका न केवल विलंबित है, बल्कि इसमें विलंब और शिथिलता का दोष भी विद्यमान है।
5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. ज़ाहिर तौर पर, रिट याचिकाकर्ता जॉइनिंग के संबंध में दिए गए अपने अभ्यावेदन के निपटारे की प्रार्थना कर रहा है। यद्यपि रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका चयन हो चुका है लेकिन 15 से 16 वर्षों की देरी के बाद भी कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है, ऐसे में न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह जॉइनिंग लेटर जारी करने या अभ्यावेदन का निपटारा करने के संबंध में कोई निर्देश दे।

7. तदनुसार, इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है, अतः रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।